प्रारूप 11

प्रतिवेदन

<u>परियोजना विवरण</u> :— माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिंलिग थल मोटर मार्ग के किमी0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 428/III–(2)/16–14 (मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23/01/2016 द्वारा 12.000 किमी0 रू0 55.20 लाख स्वीकृत हुआ है जिसमें 9.00 मीटर चौडाई के अनुसार राज्य भूमि 5.60 हे0 नाप भूमि 5.20 हे0 , वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से **खर्कगॉव, सेटीगॉव, गाडगॉव, गिराड़ी बसखेत, पटकेश्वर, सैराड, मनकोट** की कुल जनसंख्या 662 लाभान्वित होगी।वैकल्पिव समरेखण उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाली 5.60 हे0 राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखण है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्यः–

- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्य पूर्ण है।
- दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू–स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण ल0 में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
- इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
- दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो समरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू–वैज्ञानिक के रिर्पोट, मोटर मार्ग की ल0 क होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षों से कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्र कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।
- अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तावरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। ताकि मा का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

Joshi

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़